

[2024] 6 एस.सी.आर. 164 : 2024 आईएनएससी 368

अनीस

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य सरकार

(आपराधिक अपील सं. 437/2015)

03 मई 2024

[माननीय डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मु.न्या.,

माननीय न्या. जे.बी. पर्दीवाला* और न्या. मनोज मिश्रा]

विचारणीय मुद्दा

अपीलार्थी-अभियुक्त की पत्नी की उनके घर में हत्या, जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी 5 वर्षीय बेटी रहते थे। धारा 106, साक्ष्य अधिनियम, 1872 लागू किया गया और अपीलार्थी को हत्या के लिए धारा 302, भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

हेडनोट

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 – तथ्य को साबित करने का भार, विशेषकर ज्ञान के अंतर्गत -- धारा 106 के संदर्भ में “प्रथम दृष्टया मामला” (आधारभूत तथ्य) –अपीलार्थी-अभियुक्त की पत्नी की सुबह-सुबह उनके घर में हत्या, जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी 5 वर्षीय बेटी रह रहे थे - धारा 106 लागू की गई, अपीलार्थी को हत्या के लिए धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया – सत्यता:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह ऐसे तथ्य साबित करने में सफल रहा है जिनसे अभियुक्त के अपराध के संबंध में उचित

निष्कर्ष निकाला जा सकता है - वर्तमान मामले में, अपराध उस घर की चार दीवारी के अंदर हुआ जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी 5 वर्षीय बेटी रह रहे थे - घटना सुबह-सुबह घटित हुई - जब जांच अधिकारी (आईओ) अपीलार्थी के घर पहुंचे, तो उन्होंने मृतका को खून से लथपथ पाया - अपीलार्थी भी वहां मौजूद था - अपीलार्थी द्वारा बचाव में दिया गया दावा कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और मृतका को और उसके शरीर को भी चोटें पहुंचाई, झूठा पाया गया - घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़ों पर खून के धब्बे थे जो मृतका के रक्त समूह से मेल खाते थे - इसके अलावा, जांच अधिकारी और अन्य को अपने घर के पास के नाले तक ले जाने में अपीलार्थी का आचरण और नाले से चाकू की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है - इस प्रकार, उपर्युक्त आधारभूत तथ्यों के विधिवत् सिद्ध हो जाने के मद्देनजर, निचले न्यायालयों द्वारा धारा 106 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों को लागू करना न्यायोचित था - उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की - हालाँकि, परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी को सजा में छूट के लिए राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। [पैरा 50, 56 और 84]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 – प्रयोज्यता – विधि के सिद्धांत:

अभिनिर्धारित किया गया: आपराधिक विचारण पर लागू होने वाला सामान्य नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, धारा 106 में निहित तथ्यों के नियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया गया है - धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है - धारा 106 कुछ अपवादात्मक मामलों से निपटने के लिए बनाई गई है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को साबित करना असंभव होगा, या किसी भी दर पर अनुपातहीन रूप से कठिन होगा, जो "विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है" - न्यायालय को आपराधिक मामलों में धारा 106 को सावधानी और सतर्कता के साथ लागू करना चाहिए - अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन

पक्ष की असमर्थता की भरपाई के लिए धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता है - इसका उपयोग दोषसिद्धि को समर्थन देने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके दायित्व का निर्वहन नहीं कर लिया हो - यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि कोई अपराध किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में मामला हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था - ऐसे मामले में जहां अन्य परिस्थितियां स्वयं उसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित स्पष्टीकरण के अभाव से अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना अभियोजन पक्ष को उसके वैध भार से मुक्त करना है - अतः, जब तक ऐसे साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हो जाता, तब तक दायित्व अभियुक्त पर नहीं आता। [पैरा 36, 43, 44]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 – तथ्य को साबित करने का भार, विशेषकर ज्ञान के भीतर – “विशेषकर” – अर्थ:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा - शब्द "विशेष रूप से" का अर्थ है ऐसे तथ्य जो अभियुक्त के ज्ञान में सर्वोपरि या अपवादस्वरूप हों - धारा 106 स्पष्ट रूप से उन मामलों को संदर्भित करती है, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हो जाता है, जब तक कि अभियुक्त कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में सक्षम न हो, विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरर्थक बना देगा। - यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है जो सिद्ध परिस्थितियों में यथोचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को लाभ मिलता है -लेकिन, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या झूठा या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है, जो उसके विरुद्ध हो सकती है। [पैरा 36, 45]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 8, 27 – ‘आचरण’ – “प्रासंगिक तथ्य” – अपराध का हथियार, चाकू अपीलार्थी के कहने पर धारा 27 के तहत पंचनामा बनाकर बरामद किया गया:

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी और अन्य को अपने घर के पास के नाले तक ले जाना और नाले से चाकू बरामद करना धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है -दूसरे शब्दों में, परिस्थिति का सरल साक्ष्य कि अपीलार्थी ने जांच अधिकारी को वह स्थान बताया जहां उसने अपराध का हथियार यानी चाकू फेंका था, धारा 8 के तहत 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के साथ या उससे पहले दिया गया बयान धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं। -यहां तक कि खोज पंचनामा के रूप में साक्ष्य को खारिज करते समय भी, अपीलार्थी का आचरण धारा 8 के तहत प्रासंगिक होगा -बरामदगी वाला साक्ष्य धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण की स्वीकार्यता से बिल्कुल अलग धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा। [पैरा 56(ड), 59]

साक्ष्य--सकारात्मक तथ्य बनाम नकारात्मक तथ्य—किसी के मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य संबंधी भार या साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार को प्रेरक भार या सबूत के भार के विपरीत स्थानांतरित करने वाले नियम, अर्थात् अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित करना:

अभिनिर्धारित किया गया: विभिन्न नियमों के मूल में जो बात निहित है, वह यह है कि साक्ष्य संबंधी भार या किसी के मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार को प्रेरक भार या साबित करने के भार के विपरीत स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात् अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित करने का भार, और जो कभी नहीं बदलता, वह यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के लिए अपने स्वयं के द्वारा कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से ठोस साक्ष्य देना असंभव है और इसलिए, यदि अभियुक्त बचना चाहता है, तो उसे उन मुद्दों पर साक्ष्य देना चाहिए - अभियोजन पक्ष को सदैव सकारात्मक तथ्य साबित करने होंगे - लेकिन यही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता -अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह सभी संभावित बचावों या परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाए और उन्हें समाप्त कर दे जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती हैं - जब कोई व्यक्ति उस कार्य के स्वरूप और परिस्थितियों से इतर किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह अन्य सभी संभावित इरादों को खत्म कर दे - यदि अभियुक्त का इरादा कुछ और था तो यह तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में है और उसे इसे साबित करना होगा। [पैरा 46]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 – तब लागू नहीं होता जब प्रश्नगत तथ्य न केवल अभियुक्त को बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता हो:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 उन मामलों में लागू नहीं होती जहां प्रश्नगत तथ्य, उसकी प्रकृति को देखते हुए, ऐसा हो कि न केवल अभियुक्त को बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता हो, यदि वे उस घटना के समय उपस्थित थे - किसी भी व्यक्ति के कृत्य या आचरण के पीछे का इरादा शायद ही कभी ऐसा मामला होता है जिसे निर्णायक रूप से साबित किया जा सकता है; यह वास्तव में केवल उस व्यक्ति को ही ज्ञात होता है जिसके मन में यह इरादा है - इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी कार्य का स्वरूप और परिस्थिति यह सुझाती है कि वह कार्य किसी विशेष आशय से किया गया था, तो इस धारा के दृष्टांत (क) के अधीन यह माना जा सकता है कि उसका वह आशय था, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न कर दे। [पैरा 47]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 8 – यद्यपि अभियुक्त का आचरण धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक है, तथापि, यह अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है:

अभिनिर्धारित किया गया: यद्यपि अभियुक्त का आचरण धारा 8 के अंतर्गत एक सुसंगत तथ्य हो सकता है, तथापि यह अपने आप में उसे दोषसिद्ध करने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए - किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है, जिसे न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ-साथ ध्यान में रख सकता है - इस प्रकार, अभियुक्त का आचरण मात्र, यद्यपि धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है, पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। [पैरा 61]

साक्ष्य - साबित करने के भार और स्पष्टीकरण के भार के बीच अंतर - चर्चा की गई। [पैरा 48]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 –विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का भार – पूर्ण गोपनीयता में किए गए अपराध – प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई:

अभिनिर्धारित किया गया: न्यायालयों में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, जहां पति, वैवाहिक संबंधों में तनाव और चरित्र पर संदेह के कारण अपनी पत्नी की हत्या तक कर देता है। ये अपराध आमतौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य पेश करना बहुत कठिन हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, किसी अन्य परिवार के सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा। यदि कोई अपराध घर की चारदीवारी के अंदर होता है, जहां अभियुक्त को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए धारा 106 कानून में मौजूद है। [पैरा 54, 55]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 161(1), 162(1) – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 145:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 161(1) के तहत पुलिस के समक्ष किसी गवाह द्वारा दिया गया बयान केवल धारा 162(1) के परन्तुक में निर्धारित विचारण में उसके द्वारा दिए गए बयान का खंडन करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है - न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए उन बयानों का उपयोग नहीं कर सकता जो साबित नहीं हुए हैं, तथा उनके संदर्भ में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता जो न्यायालय में गवाह की गवाही से असंगत हों - धारा 162 में प्रयुक्त शब्द 'यदि सम्यक रूप से सिद्ध हो' स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गवाहों के बयानों के अभिलेख को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, न ही उन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें विरोधाभास के उद्देश्य से प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह से तथा जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी स्वीकारोक्ति प्राप्त करके विधिवत साबित किया जाना चाहिए - जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान का विरोधाभास के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के बाद ही, अर्थात् विरोधाभास के लिए इच्छित भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके। [पैरा 64]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 145 – लिखित में पूर्व बयानों के संबंध में प्रतिपरीक्षा – अपीलार्थी ने अपने घर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी –

अभियोजन पक्ष का कहना है कि नाबालिग बेटी (अभि.सा.-3) घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थी – हालाँकि, बाद में वह अपने बयान से पलट गयीं - लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा:

अभिनिर्धारित किया गया: इस मामले में, न केवल पक्षद्रोही साक्षियों के मौखिक साक्ष्य में उचित विरोधाभास रिकार्ड पर नहीं लाए गए, बल्कि जो कुछ रिकार्ड पर लाए गए, उन्हें भी जांच अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया। - ऐसी प्रक्रियागत चूक के कारण बहुत गंभीर अपराध के लिए भी सजा नहीं मिल पाती -ऐसी परिस्थितियों में, न तो लोक अभियोजक और न ही विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी लापरवाह या उदासीन बने रहने का जोखिम उठा सकता है। - शाहीना (अभि.सा.-3) को पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद, लोक अभियोजक ने केवल प्रतिपरीक्षा के लिए उसे कुछ सुझाव दिए-- आश्चर्य की बात यह है कि उचित विरोधाभास भी रिकार्ड में नहीं लाया गया - अभि.सा.-3 को उसके पुलिस बयान के बारे में उचित ढंग से नहीं बताया गया - किसी पक्षद्रोही गवाह से प्रतिपरीक्षा करते समय सरकारी अभियोजक के लिए केवल सुझाव देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल सुझावों का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है - वर्तमान मामले में विचारण न्यायाधीश भी सक्रिय भूमिका निभाने में विफल रहे। [पैरा 67, 70, 71]

आपराधिक न्याय प्रणाली - आपराधिक विचारण – लोक अभियोजक – नियुक्ति – नियुक्ति के लिए विचार राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि केवल व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए:

अभिनिर्धारित किया गया: लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति आदि जैसे मामलों में राजनीतिक विचार का कोई तत्व नहीं होना चाहिए -सरकार के लिए एकमात्र विचारणीय विषय व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए - व्यक्ति को न केवल योग्य होना चाहिए, बल्कि उसे निष्कलंक चरित्र और निष्ठावान व्यक्ति भी होना चाहिए – वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी आरक्षण, आदेश या अन्य बाधाओं के स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। [पैरा 67]

आपराधिक विचारण – लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही गवाह की प्रतिपरीक्षा – प्रभावी और सार्थक प्रतिपरीक्षा का अभाव – निरस्त-साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 165 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 311 – विचारण न्यायाधीश, लोक अभियोजक का कर्तव्य:

अभिनिर्धारित किया गया: लोक अभियोजक केवल पक्षद्रोही गवाह को धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके पुलिस बयान से सामना कराते हैं और उससे उसका खंडन करते हैं - वे केवल विरोधाभासों को अभिलेख पर लाते हैं और उसके बाद आईओ के साक्ष्य के माध्यम से ऐसे विरोधाभासों को साबित करते हैं - यह पर्याप्त नहीं है - लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह एक पक्षद्रोही गवाह से विस्तार से प्रतिपरीक्षा करे और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करे तथा यह भी साबित करे कि गवाह झूठ बोल रहा है और उसने धारा 161 के तहत दर्ज अपने पुलिस बयान से जानबूझकर पलट गया है - यदि सरकारी अभियोजक द्वारा पूछताछ कुशल नहीं है, जैसा कि इस मामले में है, तो परिणाम यह होगा कि अभियोजन एजेंसी के रूप में राज्य बाल गवाह से सच्चाई नहीं उगलवा पाएगा - सत्य तक पहुंचना और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना न्यायालय का कर्तव्य है - न्यायालयों को विचारण में सहभागी भूमिका निभानी होगी और गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकार्ड करने वाले मात्र टेप रिकार्डर के रूप में कार्य नहीं करना होगा - न्याय की सहायता के लिए न्यायाधीश को कार्यवाही की निगरानी करनी होती है - भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह या सुस्त हो, न्यायालय को कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि अंतिम उद्देश्य, अर्थात् सत्य तक पहुंचा जा सके - न्यायालय को अभियोजन एजेंसी की ओर से गंभीर खामियों और कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए - नकी उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफल होने पर, विचारण न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रदत्त व्यापक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए - न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग लेगा, तथा उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा, जिसे वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है - न्यायाधीश को मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या यहां तक कि इस प्रयोजन के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी साक्षी से प्रश्न पूछने की अबाधित शक्ति होती है। [पैरा 69, 73, 74]

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 का अपवाद 4 – लाभ, जब उपलब्ध न हो – अपीलार्थी ने अपने घर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी –वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी ने दलील दी कि यह घटना बिना किसी पूर्व-योजना के क्षणिक आवेश में घटित हुई, क्योंकि यह दोनों के बीच आवेश की उत्तेजना में अचानक झगड़ा हो सकता था:

अभिनिर्धारित किया गया: अपवाद 4 तब लागू किया जा सकता है जब मृत्यु (क) बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो, (ख) अचानक लड़ाई में हुई हो, (ग) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई हो; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई हो - किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए, उसमें उल्लिखित सभी सामग्री पाई जानी चाहिए - अपवाद 4 का लाभ अपराधी को नहीं दिया जा सकता, जहां उसने अनुचित लाभ उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया हो - यदि हमलावर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार या हमले का तरीका असंगत है, तो यह तय करने के लिए परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है - अपीलार्थी ने मृतका पर चाकू से बारह बार किए, जो निहत्थी और असहाय थी। - अपीलार्थी ने अनुचित लाभ उठाया और क्रूर तरीके से कार्य किया - वर्तमान मामला हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध नहीं है, बल्कि यह हत्या का मामला है। [पैरा 80, 82 और 83]

शब्द और वाक्यांश – “प्रथम दृष्टया मामला” – अर्थ:

अभिनिर्धारित किया गया: लैटिन अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टया का अर्थ है "पहली नजर में", "पहली दृष्टि में", या "पहली बार दिखने के आधार पर" - इसका अर्थ है "प्रथम दृष्टया साक्ष्य" द्वारा साबित मामला, जिसका अर्थ है "तथ्य की धारणा को बढ़ाने या प्रश्नगत तथ्य को साबित करने के लिए कानून में पर्याप्त साक्ष्य, जब तक कि उसका खंडन न किया जाए" - सिविल और आपराधिक दोनों कानूनों में, इस शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि प्रारंभिक जांच के बाद, किसी कानूनी दावे में मुकदमे या निर्णय के लिए आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों - अधिकांश कानूनी कार्यवाहियों में, एक पक्ष (आमतौर पर, वादी या अभियोजक) पर सबूत पेश करने का दायित्व होता है, जिसके तहत उन्हें मामले के प्रत्येक तत्व या प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है - यदि वे प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना प्रारंभिक दावे को खारिज किया जा सकता है। [पैरा 49]

शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य [1956] 1 एससीआर 199; एआईआर 1956 एससी 404; नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य (2021) 10 एससीसी 725; तुलसीराम सहादु सूर्यवंशी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2012] 7 एससीआर 1083 : (2012) 10 एससीसी 373; त्रिमुख मारोती किर्कन बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006] अनुपूरक 7 एससीआर 156 : (2006) 10 एससीसी 681; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य [2000] अनुपूरक 2 एससीआर 712 : (2000) 8 एससीसी 382; बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य [2023] 12 एससीआर 815 : (2023) एससीसी ऑनलाइन 1261; राम गुलाम चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य [2001] अनुपूरक 3 एससीआर 279 : (2001) 8 एससीसी 311; मदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1979 एससीसी (सीआरआई) 56; मोहम्मद असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 9 एससीसी 362; अंतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य [2004] 2 एससीआर 123 : (2004) 10 एससीसी 657; ए.एन. वेंकटेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2005) 7 एससीसी 714; राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु [2003] अनुपूरक 1 एससीआर 130 : (2005) 11 एससीसी 600; वी.के. मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य (2015) 9 एससीसी 588; ज़ाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य 2004 3 एससीआर 1050 : (2004) 4 एससीसी 158; राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ व अन्य एआईआर (1997) एससी 1023; विशाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य [2009] 3 एससीआर 444 : (2009) आप. एलजे 2243; किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य [1993] 3 एससीआर 696 : एआईआर 1993 एससी 2426 – पर भरोसा किया गया।

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1985] 1 एससीआर 88 : (1984) 4 एससीसी 116 – संदर्भित।

लोक अभियोजन निदेशक, ट्रांसवाल बनाम न्याय और संवैधानिक विकास मंत्री (2009) 4 एसए 222 (सीसी) - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और नियतकालिक पत्रिकाएँ

प्रोफेसर ग्लेनविले विलियम्स –अपराध का प्रमाण, अध्याय 7, पृष्ठ 127 और आगे) और दिलचस्प चर्चा - पैरा 527 नकारात्मक कथन और पैरा 528 - पृष्ठ 438 पर “सकारात्मक प्रति-साक्ष्य की आवश्यकता है” और क्रिमिनल लॉ की केनी की रूपरेखा की फ़ॉइल, 17वां संस्करण 1958; वेबस्टर का तीसरा अंतरराष्ट्रीय शब्दकोष (1961 संस्करण) - संदर्भित

अधिनियमों की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860.

विशिष्ट शब्दों की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106; तथ्य विशेष रूप से ज्ञान के भीतर; हत्या; प्रथम दृष्टया मामला; आधारभूत तथ्य; प्रासंगिक तथ्य; अभियुक्त का आचरण; अपराध का हथियार; इरादा; प्रकटीकरण कथन; खोज पंचनामा; एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी; पक्षद्रोही गवाह; पक्षद्रोही गवाह की प्रतिपरीक्षा; विरोधाभासी गवाह; विरोधाभास; सुझाव; पुलिस के बयान से सामना; पक्षद्रोही गवाह का सामना करना; लोक अभियोजक; बाल गवाह; सहभागी भूमिका; मात्र टेप रिकॉर्डर; घर के अंदर; पूर्ण गोपनीयता; सकारात्मक तथ्य; नकारात्मक तथ्य; दंड संहिता, 1860 की धारा 300 का अपवाद 4; क्रूर तरीका; कम करने वाली परिस्थितियाँ।

इनसे उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 437/2015

आप.अ. संख्या 320/1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 23.05.2014 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्ता: ऋषि मल्होत्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण : अपूर्व कुरूप, मुकेश कुमार मरोरिया, संजय कुमार त्यागी, मणि मुंजाल, विनायक शर्मा, रमन यादव

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्या. श्री जे.बी. पर्दीवाला:

विवरण की सुविधा के लिए इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है: -

अनुक्रमणिका*

क. अभियोजन पक्ष का मामला.....	3
ख. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ	15
ग. राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ.....	17
घ. विश्लेषण.....	19
i. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत.....	19
ii. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में "प्रथम दृष्टया मामला" (आधारभूत तथ्य) क्या है?.....	30
iii. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत हथियार की बरामदगी.....	35
iv. लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही साक्षी से प्रतिपरीक्षा.....	38
v. क्या अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ का हकदार है?.....	47

1. यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आईपीसी") की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी एक दोषी की ओर से है और यह अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 320/1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2014 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है,

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा सत्र मामला संख्या 176/1996 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की, जिसमें अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया और उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अपीलार्थी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया।

क. अभियोजन पक्ष का मामला

2. मृतका सायरा का विवाह अपीलार्थी से हुआ था। अपीलार्थी के साथ मृतका का विवाह 1982 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। इस विवाह से शाहीना नाम की एक बेटी पैदा हुई, जो 1995 में घटना के समय पांच साल की थी।
3. 29.12.1995 को, लगभग 4:00 बजे, दिल्ली पुलिस के एक वायरलेस ऑपरेटर ने एक महिला कांस्टेबल को, जो पीसीआर में ड्यूटी पर थी, सूचित किया कि मुस्तफाबाद के गली नंबर 3 के मकान नंबर 220 में एक महिला को चाकू मार दिया गया है और एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। उक्त सूचना महिला कांस्टेबल द्वारा पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी के ड्यूटी अधिकारी को दी गई, जिन्होंने इसे लिखित रूप में दर्ज किया और इसकी एक प्रति एस.आई. मोहकम सिंह को जांच के लिए भेज दी।
4. जब एस.आई. मोहकम सिंह संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को खून से लथपथ पाया, उसके पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू के कई गहरे घाव थे। यहां अपीलार्थी भी घटनास्थल पर मौजूद था। यह देखा गया कि अपीलार्थी को भी कुछ सतही चोटें आई थीं। मृतका और अपीलार्थी दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां मृतका को मृत घोषित कर दिया गया और अपीलार्थी को पूछताछ के लिए फिट घोषित किया गया और कुछ प्रारंभिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
5. जांच से पता चला कि मृतका के साथ अपीलार्थी के वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे, क्योंकि मृतका अपीलार्थी की अनुमति के बिना अचानक घर से चली गई थी और

उसके बाद देर रात को वापस लौटी थी। यह बात अपीलार्थी को पसंद नहीं आई। कई बार ऐसे मुद्दों पर अपीलार्थी और मृतका के बीच कहासुनी हो जाती थी। अभियोजन पक्ष का कहना यह है कि घटना वाली रात को अपीलार्थी और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने मृतका के शरीर पर चाकू से अंधाधुंध वार किए। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि नाबालिग बेटी शाहीना घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थी।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों में, जांच अधिकारी द्वारा एक रुक्का तैयार किया गया और संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी संख्या 728/1995 दर्ज की गई।
7. प्राथमिकी की अंतर्वस्तु नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

“प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

धारा 154 सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराध की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की गई।

प्राथमिकी सं. 728/95

घटना की तारीख और समय

1	तिथि और	29-12-95 को सुबह 4 बजे
2	सूचना एवं शिकायतकर्ता का नाम एवं निवास पता	डीडी नं. 2ए दिनांक: 20.12.95 प्रातः 7 बजे सूचना लेखन एस.आई. मोहकम सिंह।
3	अपराध का संक्षिप्त विवरण (धारा सहित) तथा लूटी गई संपत्ति, यदि कोई हो	धारा 302 आईपीसी के तहत
4	घटनास्थल और पुलिस स्टेशन से दूरी और दिशा	

5	अपराधी का नाम और पता	मकान नं. 220 ओल्ड हुस्तफबी उत्तर प्रदेश, दूरी 1 ½
6	जांच के संबंध में उठाए गए कदम, सूचना दर्ज करने में देरी का स्पष्टीकरण	इस संबंध में हुई देरी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है।
7	पुलिस स्टेशन से भेजने की तिथि और समय	विशेष तरीके से।

वायरलेस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गली नं. 2 में मकान नं. 222 के पास अपठनीय फैक्ट्री में चाकू से हमला हुआ है तथा किसी को घटनास्थल पर भेजा जाए। सूचना मिलते ही, कांस्टेबल बेल्ट नं. 1 व एसआई करम सिंह सरकारी गाड़ी में थाने से रवाना हुए तथा कांस्टेबल मकान नं. 220 गली नं. 3 पुराना मुस्तफा बड़ पर अपठनीय। वहां पर मृतका सायरा का शव मिला जिसके गले व पेट पर गहरी चोटें थी तथा खून बह रहा था, सायरा का पति अनीश भी घटनास्थल अपठनीय पर मौजूद था। वहां से हम उन्हें सरकारी वाहन पी.आर. में कांस्टेबल उपलब्ध 1258 द्वारा मौके से सरकारी वाहन में जी.टी.बी. अस्पताल ले गए तथा एम.एल. नं. अपठनीय तैयार किया गया जिसमें सायरा का उल्लेख अपठनीय लिखित रूप में किया गया था। परिजनों के आने पर, बयान दर्ज किए गए तथा धारा 302/324 आईपीसी के तहत अपठनीय अपराध के आधार पर डायरी नंबर 1175 पर दर्ज किया गया। सूचना को रोजनामचा में नोट कर लिया गया है तथा मैं स्वयं अपराध टीम तथा फोटोग्राफर के साथ घटना स्थल पर गया तथा रिपोर्ट तैयार की। दिनांक 29.12.95 को लगभग 4 बजे शाम को मकान नं. 220 गली नं. 3 पुराना मुस्तफा बाद गया और 29.12.95 को कागजी कारवाई की गई। स्थानीय उप.नि. थाना गोकुलपुरी के अपठनीय हस्ताक्षर दिनांक 27.12.95। पुलिस कार्यवाही इन लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर कांस्टेबल गयासुद्दीन सं.11751 द्वारा कार्यालय से संबंधित मामला दर्ज किया गया। मामला रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

8. जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने मृतका की पांच वर्षीय बेटी शाहीना का बयान दर्ज किया। शाहीना ने अपने पुलिस बयान में कहा कि रात में चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जाग गई और उसने देखा कि उसके पिता यानी अपीलार्थी ने उसकी मां यानी मृतका के शरीर पर चाकू से वार किया।
9. मृतका के शव का पोस्टमार्टम जी.टी.बी. अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली में किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें सामने आईं:

- “1. बाएं अंगूठे के घाव के बाहरी पक्ष पर 4 सेमी x 1.04 सेमी का कटा हुआ घाव मौजूद है।
2. बाएं अंगूठे के समीपस्थ फलांक्स के हथेली के पक्ष पर 2 सेमी x 0.8 सेमी x 0.7 सेमी का कटा हुआ घाव मौजूद है।
3. बायीं अनामिका के मध्य भाग के पृष्ठीय पक्ष पर 1 सेमी x 0.3 सेमी 0.3 सेमी का चीरा हुआ घाव मौजूद है।
4. बाएं हाथ के सामने, कोहनी जोड़ से 4 सेमी ऊपर 2 सेमी x 0.1 आकार की रेखिक खरोंच मौजूद है।
5. बाएं घुटने के जोड़ के सामने और भीतरी भाग पर 6 सेमी x 1 सेमी x 0.6 सेमी का कटा हुआ घाव मौजूद है।
6. दाहिनी जांघ के बाहरी भाग पर 5 सेमी x 1 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, घुटने के जोड़ से 7 सेमी ऊपर स्थित है।
7. दाहिनी मध्यमा उंगली के टर्मिनल फालानक्स के पामर पक्ष पर 1.3 सेमी x 0.1 x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव मौजूद है।
8. दाहिनी अनामिका अंगुली के फलांक्स के हथेली के ऊपर 2 सेमी x 0.3 x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव, रेखांकित घाव को काटता हुआ मौजूद है।

9. दाहिने कंधे के शीर्ष के बाहरी पक्ष पर 4 सेमी x 0.2 सेमी लाइनर खरोंच मौजूद है।

10. पेट के सामने, एक्सफॉइड प्रक्रिया से 2.5 सेमी नीचे मध्य रेखा में 4 सेमी x 0.5 सेमी का चीरा हुआ घाव मौजूद है।

यह तिरछा लगा साफ कटा हुआ किनारा है और चीरफाड़ पर घाव का एक कोण दूसरे की तुलना में अधिक तीव्र होता है। घाव का मार्ग पार्श्व, ऊपर और पीछे की ओर जा रहा है, यकृत के बाएं भाग को काटते हुए पेरीकार्डिया भाग को काट रहा है, तथा हृदय के दाहिने अलिन्द में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहा है। घाव के निशान के साथ रक्तस्राव और रक्त का अत्यधिक बहाव। घाव की गहराई 9 सेमी है।

11. पेट के सामने मध्य रेखा में तिरछा कटा हुआ घाव, जिसमें घाव बाहर की ओर निकला हुआ है। इसका माप 4.5 x 0.2 सेमी है तथा यह नाभि से 5 सेमी ऊपर स्थित है। इसका किनारा साफ कटा हुआ है तथा घाव का एक कोण दूसरे की अपेक्षा अधिक तीव्र है। चीरफाड़ पर, घाव का मार्ग पीछे और पार्श्व की ओर ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें मेसेंटेरिक रक्त वाहिकाओं को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। घाव की मेसेंटरी में रक्तस्राव 8 सेमी की गहराई तक मौजूद है।

12. गर्दन के घाव में 10 सेमी x 2 सेमी माप का चीरा लगा हुआ है जो थायरॉयड उपास्थि के ऊपर क्षैतिज रूप से 4 सेमी में मौजूद है। घाव का ऊपरी किनारा ठोड़ी से 55 सेमी नीचे तथा निचला किनारा स्टर्न नॉच से 6 सेमी ऊपर है। गर्दन के सभी कोमल ऊतकों, रक्त वाहिका श्वासनली और अन्नप्रणाली को रीढ़ की हड्डी तक काट दिया गया है। घाव के नरम ऊतकों में रक्तस्राव और अतिरिक्त रिसाव या रक्त का उपस्थित होना।

13. ठोड़ी से 1.5 सेमी नीचे गर्दन के सामने मध्य रेखा में 2.5 सेमी x 0.3 सेमी का लाल खरोंच मौजूद है।

*14. लाल खरोंच 2 सेमी. x 0.3 सेमी चेहरे के बाईं ओर बाईं
आंख से 1.5 सेमी नीचे।”*

10. अपराध का हथियार, अर्थात् चाकू भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, **‘साक्ष्य अधिनियम’**) की धारा 27 के प्रावधानों के तहत पंचनामा बनाकर अपीलार्थी की निशानदेही बरामद किया गया था। मृतका के साथ-साथ अपीलार्थी के खून से सने कपड़े एकत्र किए गए और रासायनिक जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, **“सीआरपीसी”**) की धारा 161 के तहत विभिन्न अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
11. जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय को सौंप दिया, जो सत्र मामला संख्या 176/1996 के रूप में परिणित हुआ।
12. अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण चलाने की मांग की।
13. अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में 17 गवाहों से पूछताछ की। शाहीना (**अभि.सा.-3**) से घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूछताछ की गई। मृतका के भाई शकील अहमद (**अभि.सा.-4**) और मृतका के पिता रफीक (**अभि.सा.-11**) से मृतका से अपीलार्थी द्वारा दहेज की मांग और उसके द्वारा अपनी मृत पत्नी के साथ किए गए उत्पीड़न को साबित करने के लिए पूछताछ की गई। अपीलार्थी के पड़ोसी डॉ. सईद अली (**अभि.सा.-9**) से अपराध में प्रयुक्त चाकू के पंचनामा की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए पंच गवाह के रूप में पूछताछ की गई।
14. अभियोजन पक्ष का कहना है कि चाकू अपीलार्थी के घर के बाहर एक नाली से बरामद किया गया था, जैसा कि उसने जांच अधिकारी और पंच गवाहों की उपस्थिति में बताया था।

15. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित सरकारी गवाहों से भी पूछताछ की:

क. कांस्टेबल मुन्नी खान, जो घटना के समय पीसीआर पर ड्यूटी पर था
(अभि.सा.-5)

ख. कांस्टेबल गोविंद सिंह, घटना के समय गोकुलपुरी पी.एस. पर ड्यूटी अधिकारी (अभि.सा.-8)

ग. कांस्टेबल गियासुद्दीन, चाकू की बरामदगी का गवाह (अभि.सा.-16)

घ. एस.आई. मोहकम सिंह, मामले का जांच अधिकारी (अभि.सा.-17)

16. यह ध्यान देने योग्य है कि घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शाहीना (अभि.सा.-3) अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रही और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि अपने माता-पिता का शोर और चीखें सुनकर वह रात में जाग गई और उसने देखा कि चोर उनके घर में घुस आए हैं और उसके माता-पिता पर हमला कर रहे हैं। उसने बताया कि चोरों के पास चाकू था और उन्होंने उसके माता-पिता दोनों को चाकू से घायल कर दिया। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी माँ को फर्श पर खून से लथपथ पड़ा देखा था। हालाँकि, उसने इस बात से इनकार किया कि यह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका को चाकू से घायल किया था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके माता-पिता के रिश्ते तनावपूर्ण थे।

17. डॉ. सैयद अली, अभि.सा.-9, जो कि खोज पंचनामा के पंच गवाह थे, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया।

18. डॉ. अनिल कोहली, अभि.सा.-1, जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने गवाही दी कि सभी चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं तथा सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, तथा विशेष रूप से क्रमशः चोट संख्या 1-12 खंजर/चाकू से लगने की संभावना थी।

19. मौखिक साक्ष्य के समापन पर, अपीलार्थी का आगे का बयान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में अपीलार्थी ने निम्नलिखित कहा:

“मैं अपनी पत्नी मृतका और बेटी शाहीना के साथ अपने घर में सो रहा था। दो व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे भी चोट पहुंचाई। मुझे नहीं पता कि उन अनजान व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाई। मैं निर्दोष हूँ। चोट पहुंचाने के बाद वे लोग वहां से भाग गए।”

20. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की विवेचना करते हुए अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया।
21. अपीलार्थी, विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश से असंतुष्ट होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने चला गया। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और इस तरह विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया:

“10. अभि.सा.-17 की गवाही कि अपीलार्थी ने घटना के संबंध में बयान देने से इनकार कर दिया तथा दूसरी ओर, उसका यह खुलासा कि वह अपने रिश्तेदारों के आने पर बाद में बयान देगा, यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी समय लेकर कोई कहानी गढ़ना चाहता था। यदि दो घुसपैठियों ने वास्तव में मृतका सायरा को चोट पहुंचाई थी, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा बाद में आरोप लगाया गया है, तो उसे तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी ताकि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। अभि.सा.-17 की यह गवाही कि अपीलार्थी अपने रिश्तेदारों के आने पर ही बयान देना चाहता था, को अपीलार्थी ने अभि.सा.-17 की प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी। इस स्तर पर, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: -

“प्र.12 क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर: “मैं अपनी पत्नी मृतका और बेटी सियाना के साथ अपने घर में सो रहा था। दो व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे भी चोट पहुंचाई। मुझे नहीं पता कि उन अनजान व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाई। मैं निर्दोष हूं। चोट पहुंचाने के बाद वे लोग वहां से भाग गए।”

11. यह स्पष्टीकरण कि दो व्यक्तियों ने मृतका सायरा के शरीर पर चोटें पहुंचाई थीं, अभि.सा.-17 के समक्ष उसकी प्रतिपरीक्षा में नहीं रखा गया। यदि अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कोई सच्चाई होती, तो वह केवल यह कहने से संतुष्ट नहीं होता कि चोटें दो व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई थीं, बल्कि उसे हमलावरों का विस्तृत विवरण (जहां तक संभव हो) देना चाहिए था तथा यह भी बताना चाहिए था कि मृतका को ही क्यों निशाना बनाया गया, विशेषकर तब, जब दो अज्ञात घुसपैठियों द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों का उद्देश्य लूटपाट नहीं था। अज्ञात तीसरे व्यक्ति द्वारा घर में घुसपैठ के परिणामस्वरूप कहानी बताई गई और रहस्योद्घाटन साक्ष्य मिले। उक्त साक्ष्य से संबंधित कोई संकेत या सुझाव नहीं है।

XXX XXX XXX

18. जैसा कि पहले कहा गया है, यह भारी सबूतों से साबित हो चुका है और अपीलार्थी द्वारा इस पर कोई विवाद भी नहीं किया गया है कि मृतका सायरा को वैवाहिक घर (अपीलार्थी और मृतका के) के अंदर चोटें पहुंचाई गई थीं। प्रारंभ में अपीलार्थी इस बारे में पूरी तरह चुप रहा कि उसकी मृतका पत्नी को किस प्रकार चोटें आईं। उसने जांच अधिकारी से कहा कि वह बाद में बयान देगा, जब उनके रिश्तेदार आ जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा में तथा यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी अपीलार्थी ने घुसपैठियों का विवरण नहीं दिया है। अपीलार्थी के आचरण से, जिसमें उसने जांच अधिकारी को यह नहीं बताया कि उसकी मृतका पत्नी को किस प्रकार घातक चोटें आईं, उस समय भी संदेह बना हुआ था कि यह केवल अपीलार्थी ही था जो चोटों के लिए जिम्मेदार था, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा वास्तव में कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं लाया गया था। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अपीलार्थी को घटना के बारे में तुरंत बताने से किसी ने नहीं रोका कि उसकी मृतका पत्नी को दो अज्ञात घुसपैठियों ने चोटें पहुंचाई थीं। तीसरे पक्ष की उपस्थिति दिखाने के लिए कोई संकेत या सबूत नहीं था, जिन्होंने जानबूझकर मृतका को निशाना बनाया। इन सभी तथ्यों को एक साथ लिया जाए, अर्थात् पुलिस को घटना के बारे में जानकारी न देना, यहां तक कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में भी दो घुसपैठियों का विवरण न देना आदि वास्तव में यह दर्शाता है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण झूठा था जो मनु साव बनाम बिहार राज्य, (2010) 12 एससीसी 310 के मद्देनजर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगा।

19. मुन्ना कुमार उपाध्याय @ मुन्ना उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2012)
6 एससीसी 174 में, यह दोहराया गया था कि यदि अभियुक्त ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान के दौरान गलत या झूठे जवाब दिए, तो न्यायालय उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। रिपोर्ट के पैरा 76 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"76. यदि अभियुक्त ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान के दौरान गलत या झूठे जवाब दिए, तो न्यायालय उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। वर्तमान मामले में, हमारा यह मानना है कि अभियुक्त न केवल अपने आचरण को स्पष्ट करने में असफल रहा है, जिस प्रकार से प्रत्येक सामान्य विवेकशील व्यक्ति से अपेक्षित होता है, बल्कि उसने गलत और झूठे उत्तर भी दिए हैं। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने न केवल प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है, बल्कि अभियुक्त का ऐसा आचरण मामले को अभियोजन पक्ष के पक्ष में झुका देगा।"

20. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अपीलार्थी की बेटी शाहीना (अभि.सा.-3) ने अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन नहीं किया है कि अपीलार्थी इस अपराध का अपराधी था। वास्तव में, उसने जो कहानी बताई वह अपीलार्थी द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के तहत जांच में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है। लेकिन साथ ही, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी को ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जब घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंच गया था। जब जांच अधिकारी अभि.सा.-17 के रूप में गवाह के कठघरे में आए तो उनसे ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया। अपीलार्थी ने स्वयं धारा 315 सीआरपीसी के अंतर्गत गवाह के कठघरे में आने तथा उन विशेष परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए प्रतिपरीक्षा करने का चयन नहीं किया, जिनमें उसकी पत्नी की उसके छोटे से घर में हत्या कर दी गई थी। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि घुसपैठियों ने अपीलार्थी व्यक्ति को चोट पहुंचाने को हाथ क्यों नहीं लगाया, जबकि अपीलार्थी ने स्वयं बताया था कि उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी, जब उसे दो घुसपैठियों द्वारा चोट पहुंचाई जा रही थी। इसलिए, हम अपीलार्थी द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपनी जांच में पहली बार दिए गए तथाकथित स्पष्टीकरण को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह तथ्य कि मृतका की हत्या अपीलार्थी की उपस्थिति में छोटे से घर के चारों कोनों में की गई थी और यह तथ्य कि अपीलार्थी जांच अधिकारी को यह बताने में भी विफल रहा कि उसकी मृतका पत्नी को किस प्रकार चोटें आईं और उसने गलत स्पष्टीकरण दिया, स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के अपराध की ओर संकेत करता है। यह दृढ़तापूर्वक एवं स्पष्ट रूप से साबित है कि यह अपीलार्थी और केवल अपीलार्थी ही अपराध का अपराधी था।

21. यह सच है कि एस.आई. मोहकम सिंह (अभि.सा.-17) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि अपीलार्थी की बेटी ने पुलिस स्टेशन में

रुक्का भेजने से पहले ही बता दिया था कि अपीलार्थी ने यह जघन्य कृत्य किया है और इस तथ्य का रुक्का में उल्लेख न किया जाना किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के बयान को झूठा नहीं ठहराता है। शायद जांच अधिकारी ने सोचा कि लगभग पांच वर्ष की बच्ची का बयान उसके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अभिलेख करना तथा पहले स्वतंत्र रूप से जांच कर अधिक ठोस सबूत जुटाना अनुचित होगा। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले की जांच के दौरान, अपीलार्थी के पिता द्वारा शाहीना (अभि.सा. -3) का बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसे विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि बच्ची को सिखाया-पढ़ाया हुआ पाया गया था। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने एक कम उम्र के बच्चे के बयान के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए आलोचना से बचना चाहा। और इसलिए उन्होंने रुक्का में शाहीना (अभि.सा.-3) का बयान दर्ज नहीं किया।

22. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि शाहीना (अभि.सा.-3) ने अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन नहीं किया है कि उसके पिता, अपीलार्थी ने उसकी मृतका मां को चोटें पहुंचाई थीं। हालाँकि, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि बच्चा कम उम्र का था और जैसा कि विचारण न्यायालय ने कहा था, उसे अपीलार्थी के पिता द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिल सकता है यदि अभि.सा.-3 ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया।

23. हम अपीलार्थी द्वारा कथित उत्पीड़न और दहेज की मांग को अधिक महत्व नहीं देंगे क्योंकि अभि.सा. 4 और 11 के बयानों में विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं। अन्यथा भी, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 306/304-बी के अंतर्गत मामला नहीं है, इसलिए, कथित उत्पीड़न का कोई परिणाम नहीं निकला तथा इससे अपराध को अंजाम देने के लिए अधिक से अधिक कुछ प्रेरणा ही मिल सकती थी।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमारा मत है कि अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि की जाती है।

25. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटान किया जाता है।”

22. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ख. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

23. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए वे सभी परिस्थितियां, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, अभियोजन पक्ष द्वारा सावधानीपूर्वक साबित की जानी चाहिए और इस प्रकार साबित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए और अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए। अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसके लिए कोई आधारभूत तथ्य न होने की स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता था।
24. उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र चश्मदीद गवाह शाहीना (अभि.सा.-3) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उसके मौखिक साक्ष्य ने अभियुक्त द्वारा किए गए बचाव को मजबूत किया कि कुछ अनजान लोग रात के समय घर में घुस आए और अपीलार्थी और मृतका को चोटें पहुंचाई।
25. उन्होंने प्रस्तुत किया कि चाकू की बरामदगी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए पंच गवाह सैयद अली (अभि.सा.-9) भी अपने बयान से पलट गए और खोज पंचनामा की अंतर्वस्तु को साबित करने में असफल रहे।
26. एक अन्य दलील यह दी गई कि एस.आई. मोहकम सिंह (अभि.सा.-17) ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को लिखित रिपोर्ट/रुक्का भेजने से पहले शाहीना (अभि.सा.-3) से पूछताछ की थी। हालाँकि, जाँच पूरी करने के बाद तैयार की गई लिखित रिपोर्ट/रुक्का में उक्त तथ्य गायब है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि एस.आई. मोहकम सिंह (अभि.सा.-17) की गवाही भरोसे के लायक नहीं है।
27. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार यह था कि उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसके खिलाफ निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष से उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालाँकि, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष को अपने

पैरों पर खड़ा होना होगा और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा भार नहीं डाल सकता।

28. उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालयों को कथित घटना के समय अपीलार्थी के आचरण पर विचार करना चाहिए था। यदि अपीलार्थी हमलावर होता तो वह घटनास्थल पर नहीं रुकता, बल्कि कथित अपराध करने के बाद भाग जाता।
29. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की ओर से कथित अपराध करने का कोई मकसद साबित नहीं कर सका। विचारण न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने यह मानकर आगे बढ़े कि चूंकि मृतका देर रात घर पहुंची होगी, इसलिए संभवतः दोनों के बीच विवाद हुआ होगा, जिसके कारण यह घटना घटी। हालाँकि, इस संबंध में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।
30. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सत्य मान लिया जाए या स्वीकार कर लिया जाए, तब भी यह मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुति यह है कि कथित अपराध के बारे में कहा जा सकता है कि यह बिना किसी पूर्व-चिंतन के, अचानक झगड़े पर अचानक हुई लड़ाई में किया गया है।

ग. राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

31. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अपूर्व कुरूप ने दलील दी कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करने और इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि, यहां तक कि किसी कानूनी त्रुटि की बात भी नहीं कही जा सकती।
32. उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के उद्देश्य से, मूलभूत तथ्यों के रूप में निम्नलिखित संलिप्तता दर्शाने परिस्थितियों को दोनों निचले न्यायालयों द्वारा सही ढंग से ध्यान में रखा गया था।

क. यह घटना उस घर के अंदर घटित हुई जिसमें अपीलार्थी और मृतका रहते थे। मृतका खून से लथपथ लगभग मृत अवस्था में पड़ी हुई पाई गई।

- ख. अपीलार्थी घटना स्थल पर उस समय तक मौजूद था जब जांच अधिकारी अभि.सा.-8 से सूचना प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के घर पहुंचे।
- ग. अपीलार्थी शुरुआती समय में जांच अधिकारी के समक्ष यह बताने में विफल रहा कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और हमला किया।
- घ. अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, या कहें बचाव, कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और मृतका को चोटें पहुंचाई, रिकार्ड में मौजूद अन्य परिस्थितियों के कारण गलत साबित होता है।
- ङ. अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने आगे के बयान में दिया गया झूठा स्पष्टीकरण एक अतिरिक्त संलिप्तता दर्शाने वाली परिस्थिति है।
- च. घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़ों पर खून के धब्बे मृतका के रक्त समूह यानी 'एबी' पॉजिटिव से मेल खाते थे।
- छ. यद्यपि अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपीलार्थी के कहने पर हथियार की बरामदगी को साबित करने में सक्षम नहीं हो सका है, फिर भी यह तथ्य कि अपीलार्थी ने इस संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिया और जांच अधिकारी को पंच गवाहों के साथ पास के नाले के पास ले गया, जहां से चाकू की बरामदगी की गई थी, उसके आचरण को दर्शाता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है।
33. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपील में कोई गुणागुण नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

घ. विश्लेषण

34. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात्, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह

है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय तथा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

i. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 इस प्रकार है:

“106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार- जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

दृष्टांत

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।

(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है।”

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। शब्द "विशेष रूप से" का अर्थ ऐसे तथ्य हैं जो अभियुक्त के ज्ञान में सर्वोपरि या अपवादस्वरूप हों। आपराधिक मुकदमों में लागू होने वाला सामान्य नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित तथ्यों के नियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है। धारा 101 अपने उदाहरण (क) के साथ सामान्य नियम निर्धारित करती है कि आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, इसे कुछ असाधारण मामलों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें अभियोजन

पक्ष के लिए उन तथ्यों जो "विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है" को साबित करना असंभव होगा, या किसी भी दर पर असंगत रूप से कठिन होगा।

37. शंभूनाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1956 एससी 404 में, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रयुक्त शब्द "विशेष रूप से" पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"11. ...शब्द "विशेष रूप से" इस बात पर बल देता है कि इसका तात्पर्य उन तथ्यों से है जो सर्वोपरि या अपवादस्वरूप उसके ज्ञान में हैं। यदि इस धारा की व्याख्या अन्यथा की जाए, तो यह बहुत ही चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलेगा कि हत्या के मामले में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसने हत्या नहीं की है, क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने हत्या की है या नहीं।

यह स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस धारा की व्याख्या करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पुनरुत्पादित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि अभियुक्त व्यक्ति पर यह दिखाने का भार है कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये मामले हैं एटिंगेल बनाम द किंग, 1936 पीसी 169 (एआईआर वी 23) (ए) और सेनेविरत्ने बनाम आर 1936-3 ऑल ईआर 36 एटी पी 49 (बी)।"

38. शंभू नाथ (पूर्वोक्त) के उपरोक्त निर्णय को नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य, (2021) 10 एससीसी 725 में संदर्भित किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"22. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे अभियुक्त के विशेष ज्ञान में मौजूद कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित

स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा एक उचित निष्कर्ष निकाल सकता है।

23. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, और अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर लगाए गए दायित्व के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा शासित मामले में, यदि परिस्थितियों की वह श्रृंखला साबित नहीं हो पाती जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना अपेक्षित है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा दायित्व निर्वहन में विफलता बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। जब श्रृंखला पूरी नहीं होती है, तो बचाव का झूठा होना अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है।”

(जोर दिया गया)

39. तुलसीराम सहदु सूर्यवंशी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 10 एससीसी 373 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“23. यह स्थापित कानून है कि तथ्य की धारणा साक्ष्य के कानून का एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य को कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से अनुमानित किया जा सकता है। सिद्ध तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाते समय, न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करता है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के मद्देनजर उपरोक्त स्थिति मजबूत हो जाती है। यह न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना उसके विचार में हो। इस प्रक्रिया में न्यायालयों को मामले के तथ्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण आदि के सामान्य क्रम को भी ध्यान में रखना होगा। इन परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस धारा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह

से परे साबित करने के भार से मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह उन मामलों पर लागू होगा जहां अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में उचित अनुमान लगाया जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल न हो जाए जिससे न्यायालय को भिन्न अनुमान लगाने के लिए बाध्य होना पड़े। प.बं. राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर एवं अन्य [(2000) 8 एस.सी.सी. 382 : 2000 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1516] में निम्नलिखित अवलोकन को उद्धृत करना उपयोगी है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 393, पैरा 38)

“38. न्यायमूर्ति विवियन बोस ने कहा था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कुछ अपवादात्मक मामलों के लिए बनाई गई है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए कुछ ऐसे तथ्य साबित करना असंभव होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हों। शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य [एआईआर 1956 एससी 404: 1956 आप. एलजे 794] में विद्वान न्यायाधीश ने कानूनी सिद्धांत इस प्रकार बताया है:

‘11. इसमें सामान्य नियम यह बताया गया है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत पेश करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे इस दायित्व से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ अपवादात्मक मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को साबित करना असंभव होगा, या किसी भी दर पर अनुपातहीन रूप से कठिन होगा, जो अभियुक्त की जानकारी में “विशेष रूप से” हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।

शब्द “विशेष रूप से” इसी बात पर बल देता है। इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो सर्वोपरि या अपवादस्वरूप उसकी जानकारी में हों।”

(जोर दिया गया)

40. त्रिमुख मारोती किर्कन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681 में, यह न्यायालय घर की चार दीवारी में मानव वध के इसी तरह के मामले पर विचार कर रहा था। इसमें की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक माना जाता है:

“14. यदि कोई अपराध घर के एकांत में घटित होता है और ऐसी परिस्थितियों में होता है, जहां हमलावरों को अपनी इच्छानुसार समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा, यदि न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एक न्यायाधीश किसी आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता केवल यह देखने के लिए नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न मिले। न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करता है कि दोषी व्यक्ति बच न पाए। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं। (स्टर्लैंड बनाम लोक अभियोजन निदेशक [1944 एससी 315: (1944) 2 ऑल ईआर 13 (एचएल)] - पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह [(2003) 11 एससीसी 271: 2004 एससीसी (आप) 135] में न्या. अरिजीत पसायत द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत। देखें) कानून अभियोजन पक्ष पर ऐसे चरित्र का साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई कर्तव्य नहीं डालता जिसे प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो या किसी भी दर पर प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन हो। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे प्रस्तुत करने में वह सक्षम हो। यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। इस धारा के साथ संलग्न दृष्टांत (ख) इस प्रावधान की विषय-वस्तु और दायरे पर कुछ प्रकाश डालता है और कहता है:

“(ख) क पर बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार उस पर है कि उसके पास टिकट है।”

15. जहां हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहां मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप को साबित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती जैसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित होती है। भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के मद्देनजर घर के निवासियों पर यह भार होगा कि वे इस बात का ठोस स्पष्टीकरण दें कि अपराध कैसे किया गया। घर के लोग केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अपना मामला साबित करने का दायित्व पूरी तरह अभियोजन पक्ष पर है और किसी भी आरोपी पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं है।

XXX XXX XXX

22. जहां किसी अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल हो जाता है कि अपराध के होने से कुछ समय पहले वे दोनों एक साथ देखे गए थे या अपराध उस आवास गृह में हुआ जहां पति भी सामान्य रूप से रहता था, वहां लगातार यह माना गया है कि यदि अभियुक्त यह स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोटें कैसे आई या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो झूठा पाया जाता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो यह संकेत देती है कि वह अपराध के लिए जिम्मेदार है। ...”

(जोर दिया गया)

41. जहां कुछ तथ्य अभियुक्त के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं, वहां सबूत के भार के प्रश्न की जांच इस न्यायालय द्वारा [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर एवं अन्य](#), (2000) 8 एससीसी 382 के मामले में की गई थी। इस मामले में हमलावरों ने मृतका को उस घर से जबरन घसीटा, जहां वह आरोपियों के डर से शरण लिए हुए

था और रात करीब ढाई बजे उसे अपने साथ ले गए। अगले दिन सुबह उसका क्षत-विक्षत शव अस्पताल में पड़ा मिला। विचारण न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 364 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की तथा राज्य सरकार ने भी हत्या के आरोप से आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। अभियुक्तों ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनके द्वारा अपहरण किए जाने के बाद मृतका के साथ क्या हुआ। सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी कि मृतका को अंतिम बार आरोपी व्यक्तियों के साथ देखे जाने तथा अस्पताल में शव मिलने के बाद साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी गायब थी, तथा निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का आरोप किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों पर ध्यान दिया और पैरा 31 से 34 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

“31. यह प्राचीन नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है, को एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जैसे कि यह बुद्धिमान तर्क की किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है। अनुमान का सिद्धांत उपर्युक्त नियम से अलग नहीं है, न ही यह नियम के स्वरूप को खराब करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष पर सबूत के भार के पारंपरिक नियम का सूक्ष्मता से अनुसरण किया जाए, तो गंभीर अपराधों के अपराधी प्रमुख लाभार्थी होंगे और समाज हताहत होगा।

32. इस मामले में, जब अभियोजन पक्ष पूर्वोक्त परिस्थितियों को साबित करने में सफल रहा, तो न्यायालय को कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मानना होगा। अनुमान ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा भरोसा करने के लिए कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रक्रिया है।

33. तथ्य का अनुमान कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई का खंडन न किया गया हो। तथ्य की

उपधारणा साक्ष्य के कानून में एक नियम है कि किसी तथ्य पर अन्यथा संदेह होने पर कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से अनुमान लगाया जा सकता है। सिद्ध तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाते समय, न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करता है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता तब मिली जब धारा 114 को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया। यह न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना उसे लगती है। इस प्रक्रिया में न्यायालय को मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण आदि के सामान्य क्रम को ध्यान में रखना होगा।

34. जब न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो गया कि महेश का अपहरण आरोपियों ने किया था और वे उसे उस क्षेत्र से बाहर ले गए थे, तो केवल आरोपी को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, जब तक कि वह उनके साथ था। यदि अपहरण के बाद कुछ ही समय के भीतर उसकी हत्या कर दी गई हो तो स्वीकृत तर्क प्रक्रिया से न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि अभियुक्तों ने ही उसकी हत्या की है। इस तरह के अनुमान को बाधित किया जा सकता है यदि अभियुक्त न्यायालय को बताए कि महेश के साथ और क्या हुआ, कम से कम जब तक वह उनकी हिरासत में था।”

(जोर दिया गया)

42. उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया, तथा अभियुक्तों को उक्त प्रावधान के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
43. इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को आपराधिक मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी एवं सतर्कता के साथ लागू करना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका आपराधिक

मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस देश में आपराधिक मुकदमों पर लागू होने वाला सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों द्वारा इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

44. अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता को बदलने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू नहीं की जा सकती। इस धारा का प्रयोग दोषसिद्धि को समर्थन देने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके अपना दायित्व पूरा नहीं कर लिया हो। यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि कोई अपराध किया गया था, भले ही यह मामला विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था। ऐसे मामले में जहां अन्य परिस्थितियां स्वयं में उसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना अभियोजन पक्ष को उसके वैध भार से मुक्त करना है। इसलिए, जब तक ऐसे साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हो जाता, तब तक जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं आती।
45. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 स्पष्ट रूप से उन मामलों को संदर्भित करती है, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हो जाता है, जब तक कि अभियुक्त कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में सक्षम न हो, विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरर्थक बना देगा। यदि ऐसी स्थिति में, अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है जो सिद्ध परिस्थितियों में उचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को उचित संदेह का लाभ मिलता है, भले ही वह स्पष्टीकरण की सत्यता को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो। लेकिन, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या झूठा या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है, जो उसके विरुद्ध हो सकती है। प्रोफ़ेसर ग्लेनविल विलियम्स की भाषा में:

“मामले के अंतिम चरण में साक्ष्य संबंधी भार को स्थानांतरित करने से जूरी (न्यायालय) को अभियुक्त की चुप्पी या उसके साक्ष्य से प्रकट होने वाले संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति को ध्यान में रखने की अनुमति मिलती है।”

(जोर दिया गया)

46. पूर्वोक्त बात को संक्षेप में कहें तो: विभिन्न नियमों के मूल में जो बात निहित है, वह यह है कि साक्ष्य संबंधी भार या किसी के मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार को प्रेरक भार या साबित करने के भार के विपरीत स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात् अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित करने का भार, और जो कभी नहीं बदलता, वह यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के लिए अपने स्वयं के द्वारा कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से ठोस साक्ष्य देना असंभव है और इसलिए, यदि अभियुक्त बचना चाहता है, तो उसे उन मुद्दों पर साक्ष्य देना चाहिए। अभियोजन पक्ष को सदैव सकारात्मक तथ्य साबित करने होंगे। लेकिन यही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह सभी संभावित बचावों या परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाए और उन्हें समाप्त कर दे जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती हों। पुनः, जब कोई व्यक्ति उस कार्य के चरित्र और परिस्थितियों से इतर किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह अन्य सभी संभावित इरादों को समाप्त कर दे। यदि अभियुक्त का इरादा अलग था तो यह एक तथ्य है, विशेष रूप से उसके ज्ञान में और जिसे उसे साबित करना होगा (प्रोफेसर ग्लेनविले विलियम्स - अपराध का सबूत, अध्याय 7, पृष्ठ 127 और आगे देखें) और दिलचस्प चर्चा - पैरा 527 नकारात्मक कथन और पैरा 528 - केनी के आपराधिक कानून की रूपरेखा, 17वां संस्करण, 1958 के पृष्ठ 438 और फ़ॉइल पर “सकारात्मक प्रति-साक्ष्य की आवश्यकता है”।
47. किन्तु साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों में लागू नहीं होती जहां प्रश्नगत तथ्य, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसा हो कि न केवल अभियुक्त को बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता हो, यदि वे उस घटना के समय उपस्थित थे। किसी भी व्यक्ति के कार्य या आचरण के पीछे निहित इरादा कभी भी निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता; यह केवल उस व्यक्ति को ही ज्ञात होता है

जिसके मन में वह इरादा पनपा है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि किसी कार्य की प्रकृति और परिस्थिति से पता चलता है कि यह एक विशेष इरादे से किया गया था, तो इस धारा के दृष्टान्त (क) के तहत, यह माना जा सकता है कि उसका वह इरादा था, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न कर दे।

48. सबूत पेश करने के दायित्व और साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के दायित्व के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है। सामान्यतः, किसी मुद्दे के आधार के रूप में साबित किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी सकारात्मक प्रस्ताव पर सबूत का भार स्थानांतरित नहीं होता है, लेकिन सबूत का भार या स्पष्टीकरण का भार गवाही के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर स्थानांतरित हो सकता है। इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिस पर यदि न्यायालय विश्वास कर ले, तो वह अभियुक्त के अपराध के बारे में बिना किसी संदेह के आश्वस्त हो जाएगा, तो अभियुक्त को, यदि वह सक्षम है, तो उसे प्रति-सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यदि उसके पास ऐसा साक्ष्य है। जब तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हों, तो ऐसे तथ्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उस पर है, चाहे प्रस्ताव सकारात्मक हो या नकारात्मक। *प्रथम दृष्टया* मामला साबित हो जाने पर भी उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय को दोषी ठहराने से पहले यह पता लगाना होगा कि वह उचित संदेह से परे दोषी है। हालाँकि, अभियुक्त द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता को न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा इंगित निष्कर्ष की पुष्टि के रूप में या उससे उत्पन्न होने वाली धारणाओं की पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। हालाँकि कानूनी तौर पर अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, इसलिए, व्यावहारिक मामले के रूप में अभियुक्त को साक्ष्य के साथ आगे बढ़ना आवश्यक लग सकता है। इससे अभियोजन पक्ष पर सबूत पेश करने का भार नहीं बदलता [[*बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य*](#), 2023 एससीसी ऑनलाइन 1261 देखें]

ii. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में "प्रथम दृष्टया मामला" (आधारभूत तथ्य) क्या है?

49. लैटिन अभिव्यक्ति *प्रथम दृष्टया* का अर्थ है "पहली नजर में", "पहली दृष्टि में", या "पहली बार दिखने के आधार पर"। *वेबस्टर के तीसरे अंतरराष्ट्रीय शब्दकोष* (1961

संस्करण) के अनुसार, "प्रथम दृष्टया मामला" का अर्थ है "प्रथम दृष्टया साक्ष्य" द्वारा साबित मामला, जिसका अर्थ है "तथ्य की धारणा को बढ़ाने या प्रश्रुत तथ्य को साबित करने के लिए कानून में पर्याप्त साक्ष्य, जब तक कि उसका खंडन न किया जाए"। सिविल और आपराधिक दोनों कानूनों में, इस शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि प्रारंभिक जांच के बाद, किसी कानूनी दावे में मुकदमे या निर्णय के लिए आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों। अधिकांश कानूनी कार्यवाहियों में, एक पक्ष (आमतौर पर, वादी या अभियोजक) पर सबूत पेश करने का दायित्व होता है, जिसके तहत उन्हें मामले के प्रत्येक तत्व या प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। यदि वे प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना प्रारंभिक दावे को खारिज किया जा सकता है।

50. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे अभियुक्त के अपराध के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
51. तथ्य की धारणा कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि ऐसे अनुमान की सच्चाई का खंडन न किया गया हो।
52. यह स्पष्ट करने के लिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला क्या है, हमें मीर मोहम्मद (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने क्रमशः पैरा 36 और 37 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"36. इस संदर्भ में हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित कानूनी सिद्धांत का लाभप्रद रूप से उपयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार है: "जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।"

37. इस धारा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के भार से मुक्त करना नहीं है। लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष

ऐसे तथ्यों को साबित करने में सफल हो गया है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जिससे न्यायालय को कोई भिन्न निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर होना पड़े।”

(जोर दिया गया)

53. हमें राम गुलाम चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2001) 8 एससीसी 311 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी गौर करना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

“24. अन्यथा भी, हमारे विचार में, यह एक ऐसा मामला है जहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी। कृष्णानंद चौधरी पर बेरहमी से हमला किया गया और फिर सीने पर छुरा से वार किया गया। इस प्रकार बिजॉय चौधरी के यह कहने के बाद कि “वह अभी भी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए” छुरा-मार दिया गया। इसके बाद अपीलार्थीगण शव को ले गए। इसके बाद कृष्णानंद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ, वह विशेष रूप से अपीलार्थीगण की जानकारी में है। अपीलार्थीगण ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि शव ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया। उसके बाद से कृष्णानंद चौधरी को जीवित नहीं देखा गया है। स्पष्टीकरण के अभाव में, तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थीगण को संदेह था कि लड़के ने उनके परिवार के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है, अपीलार्थीगण को यह स्पष्ट करना था कि उसे ले जाने के बाद उन्होंने उसके साथ क्या किया। जब अपहरणकर्ताओं ने न्यायालय से यह जानकारी नहीं छिपाई, तो यह अनुमान लगाने का हर औचित्य है कि उन्होंने ही लड़के की हत्या की थी। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के भार से मुक्त करना नहीं है, लेकिन यह धारा वर्तमान जैसे मामलों पर लागू होगी, जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे मृत्यु के संबंध

में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपीलार्थीगण को अपने विशेष ज्ञान के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा जिससे न्यायालय भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सके। इसलिए, हमें श्री मिश्रा की इस प्रस्तुति में कोई दम नजर नहीं आता है।”

(जोर दिया गया)

54. न्यायालयों में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, जहां पति, वैवाहिक संबंधों में तनाव और चरित्र पर संदेह के कारण अपनी पत्नी की हत्या तक कर देता है। ये अपराध आमतौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य पेश करना बहुत कठिन हो जाता है। इस मामले की तरह परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, किसी अन्य परिवार के सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा।
55. यदि कोई अपराध घर की चारदीवारी के अंदर और ऐसी परिस्थितियों में होता है, जहां अभियुक्त को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कानून में मौजूद है। [त्रिमुख मारोती किरकन](#) (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करता है कि दोषी व्यक्ति बच न पाए। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं। कानून अभियोजन पक्ष पर ऐसे चरित्र/व्यक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई कर्तव्य नहीं डालता, जिसे प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो, या किसी भी दर पर, प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन हो। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे प्रस्तुत करने में वह सक्षम हो।
56. हमारा विचार है कि निम्नलिखित आधारभूत तथ्य, जो विधिवत् सिद्ध हुए, ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों को लागू करने में विचारण न्यायालयों को उचित ठहराया:

- क) अपराध उस घर की चार दीवारी के अंदर हुआ जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी 5 वर्षीय बेटी रह रहे थे। यह घटना सुबह साढ़े तीन से चार बजे के बीच घटी।
- ख) जब जांच अधिकारी अपीलार्थी के घर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को खून से लथपथ पाया। अपीलार्थी भी अपने घर पर मौजूद था।
- ग) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव तर्क कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया तथा मृतका और उसके शरीर पर चोटें पहुंचाई, झूठा पाया गया।
- घ) घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिए गए। कपड़ों पर खून के धब्बे थे। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे मृतका के रक्त समूह यानी एबी+ (AB+) से मेल खाते थे।
- ङ) अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी और अन्य लोगों को अपने घर के पास स्थित नाले के पास ले जाना और नाले से चाकू की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक सुसंगत तथ्य है। दूसरे शब्दों में, परिस्थिति का सरल साक्ष्य कि अपीलार्थी ने जांच अधिकारी को वह स्थान बताया जहां उसने अपराध का हथियार यानी चाकू फेंका था, धारा 8 के तहत 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के साथ या उससे पहले दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं।

iii. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत हथियार की बरामदगी

- 57. **मदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य**, 1979 एससीसी (सीआरआई) 56 में यह टिप्पणी की गई कि जहां महत्वपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी करने वाले जांच अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय है, वहां बरामदगी से संबंधित साक्ष्य को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया। **मोहम्मद असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2001) 9 एससीसी 362 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।

58. अंतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2004) 10 एससीसी 657 में आगे यह माना गया: -

"10. ... भले ही पंच गवाह अपने बयान से पलट जाएं, जो कि आपराधिक मामलों में अक्सर होता है, लेकिन बरामदगी करने वाले व्यक्ति का साक्ष्य दोषपूर्ण नहीं होगा।"

59. यहां तक कि खोज पंचनामा के रूप में साक्ष्य को खारिज करते समय भी, अपीलार्थी का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक होगा। बरामदगी का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता से बिल्कुल अलग, जैसा कि इस न्यायालय ने **ए.एन. वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**, (2005) 7 एससीसी 714 में टिप्पणी की थी: -

"9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर, अभियुक्त व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है। सरल शब्दों में, इस परिस्थिति का साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया जहां अपहृत लड़के का मृत शरीर मिला था और उनके बताने पर शरीर को कब्र से निकाला गया था, धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, भले ही अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के साथ या उससे पहले दिया गया बयान धारा 27 के दायरे में आता हो या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय ने प्रकाश चंद बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 3 एससीसी 90: 1979 एससीसी (आप.) 656: एआईआर 1979 एससी 400] में माना है। भले ही हम यह मानते हों कि अभियुक्त-अपीलार्थीगण (एक्स. पी-15 और पी-16) द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी यह धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक है।..."

60. राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु, (2005) 11 एससीसी 600 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 और धारा 27 यानी दो प्रावधानों को विषय पर निर्णयज विधि के संदर्भ में और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह माना गया था:

“205. आगे बढ़ने से पहले, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 पर विचार कर सकते हैं। धारा 8 जहां तक हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, अभियुक्त व्यक्ति के आचरण को प्रासंगिक बनाती है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है। यह या तो पहले का या बाद का आचरण हो सकता है। इस धारा में दो स्पष्टीकरण हैं, जो 'आचरण' शब्द के दायरे को स्पष्ट करते हैं। वे हैं:

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा में "आचरण" शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 2 — जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

आचरण को स्वीकार्य होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसका विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के साथ निकट संबंध हो। स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि कृत्यों से अलग मात्र कथन "आचरण" नहीं बनाते हैं, जब तक कि वे कथन "कथनों के अलावा अन्य कृत्यों के साथ न हों और उन्हें स्पष्ट न करें"। कृत्यों के साथ दिए गए ऐसे बयानों को संबंधित तथ्य का साक्ष्य माना जाता है। धारा 8 में संलग्न दो उदाहरण विशेष उल्लेख के योग्य हैं:

“(च) प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा।

ये तथ्य कि, बी को लूट लिए जाने के बाद, सी ने ए की उपस्थिति में कहा - 'पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने आ रही है जिसने बी को लूटा है', और इसके तुरंत बाद ए भाग गया, सुसंगत हैं।

(झ) ए पर एक अपराध का आरोप है।

ये तथ्य कि कथित अपराध के बाद वह फरार हो गया, या उसके पास अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति की आय थी, या उसने उन चीजों को छिपाने का प्रयास किया जो अपराध करने में इस्तेमाल की गई थीं या हो सकती थीं, सुसंगत हैं।”

206. हमने पहले ही प्रकाश चंद मामले (पूर्वोक्त) में आरोपी के आचरण, जो धारा 8 के तहत स्वीकार्य है, तथा जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान, जो सीआरपीसी की धारा 162 के तहत आता है, के बीच अंतर पर गौर किया है। सरल शब्दों में, परिस्थिति का साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया जहां अपराध के लिए प्रयुक्त चोरी की गई वस्तुएं या हथियार छिपाए गए थे, धारा 8 के अंतर्गत “आचरण” के रूप में स्वीकार्य होगा, भले ही अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के समकालिक या पूर्ववर्ती बयान धारा 27 के दायरे में आते हों, जैसा कि प्रकाश चंद मामले में बताया गया है। ओम प्रकाश मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने माना कि: (एससीसी पृ.262, पैरा 14)

“धारा 27 के तहत सूचना की स्वीकार्यता के अलावा, जांच अधिकारी और पंचों का यह साक्ष्य कि अभियुक्त उन्हें अभि.सा. 11 (जिससे उसने हथियार खरीदा था) के पास ले गया था और उसे बताया था तथा जिसकी पुष्टि अभि.सा. 11 ने स्वयं की थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत अभियुक्त के आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा।”

(जोर दिया गया)

61. हालाँकि, उपरोक्त संदर्भ में, हम सावधानी बरतना चाहेंगे। यद्यपि अभियुक्त का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक सुसंगत तथ्य हो सकता है, तथापि यह अपने आप में उसे दोषसिद्ध करने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है, जिसे न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ-साथ ध्यान में रख सकता है। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभियुक्त का आचरण मात्र, यद्यपि साक्ष्य

अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है, पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

iv. लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही गवाह से प्रतिपरीक्षा

62. इस मामले में, शाहीना (अभि.सा.-3) अभियोजन पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी, जो घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। शाहीना (अभि.सा.-3) प्रासंगिक समय पर सिर्फ पांच साल की थी। अपने माता-पिता के तनावपूर्ण संबंधों के कारण उनका बचपन बहुत ही अशांतिपूर्ण रहा होगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। हालाँकि, जब वह गवाह के कठघरे में पहुंची तो उसने अपने पिछले बयान से मुकरने का फैसला किया। यदि उसने पुलिस बयान में बताए अनुसार ही बयान दिया होता तो संभवतः अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। किसी गवाह के अपने पुलिस बयान से मुकरने और पलट जाने के अनगिनत कारण हो सकते हैं। यहां एक ऐसा मामला है जिसमें एक पांच साल की बेटी ने यह सोचकर अपना मन बदल लिया होगा कि अपनी मां को खो देने के बाद, पिता ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी देखभाल कर सकता है और उसका पालन-पोषण कर सकता है। हालाँकि, वह क्यों मुकर गई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक मुख्य गवाह, विशेषकर कम आयु का बाल गवाह, हत्या के विचारण में अपने बयान से पलट जाने के बाद लोक अभियोजक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोई अभियोजन पक्ष का गवाह अपने बयान से पलट जाता है और लोक अभियोजक ऐसे गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के लिए विचारण न्यायालय से अनुमति मांगता है तो वह गवाह किसी भी अन्य गवाह की तरह होता है। गवाह अब अभियोजन पक्ष का गवाह नहीं रह जाता।
63. सीआरपीसी की धारा 162 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान के उपयोग पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि इसमें बताए गए गवाहों के विरोधाभास के सीमित उद्देश्य के लिए ही ऐसा किया जाए। धारा 161(1) सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस के समक्ष किसी गवाह द्वारा दिए गए बयान का प्रयोग केवल धारा 162(1) सीआरपीसी के परन्तुक में निर्धारित विचारण में उसके द्वारा दिए गए बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जांच के दौरान धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से

सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है: (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा ऐसे गवाह का खंडन करना; (ii) अभियोजन पक्ष द्वारा भी ऐसे गवाह का खंडन, किन्तु न्यायालय की अनुमति से; तथा (iii) यदि आवश्यक हो तो गवाह की पुनः परीक्षा।

64. न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए उन बयानों का उपयोग नहीं कर सकता जो साबित नहीं हुए हैं, तथा उनके संदर्भ में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता जो न्यायालय में गवाह की गवाही से असंगत हों। सीआरपीसी की धारा 162 में प्रयुक्त शब्द *‘यदि सम्यक् रूप से सिद्ध हो’* स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गवाहों के बयानों के अभिलेख को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, न ही उन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें विरोधाभास के उद्देश्य से प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह से तथा जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी स्वीकारोक्ति प्राप्त करके विधिवत साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान का विरोधाभास के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के बाद ही, अर्थात् विरोधाभास के लिए इच्छित भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके।

65. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 इस प्रकार है:

“145. पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा - किसी साक्षी को उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।”

66. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन जब साक्षी के पूर्व कथन को लिखित रूप में प्रस्तुत करके उसका खंडन करना आशयित हो, तो ऐसे साक्षी का ध्यान लिखित रूप में प्रस्तुत करने से पूर्व उसके उन भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है। किसी

गवाह के बयान को दर्ज करते समय, यह सुनिश्चित करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि पुलिस के बयान का वह हिस्सा जिसके साथ गवाह का खंडन करने का इरादा है, उसकी प्रतिपरीक्षा में गवाह के ध्यान में लाया जाए। गवाह का ध्यान उस भाग की ओर आकर्षित किया जाता है और इसे पुनः प्रस्तुत करके उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यदि गवाह उस अंश को स्वीकार कर लेता है जिसका आशय उसके विरुद्ध तर्क करना है, तो वह सिद्ध हो जाता है तथा विरोधाभास के लिए आगे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती तथा सबूत का मूल्यांकन करते समय उसे पढ़ा जाएगा। यदि वह बयान के उस भाग को देने से इनकार करता है, तो उसका ध्यान उस बयान की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए तथा बयान में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से विरोधाभास केवल रिकार्ड पर लाया जाता है, परंतु उसे सिद्ध करना बाकी होता है। तत्पश्चात्, जब जांच अधिकारी से न्यायालय में पूछताछ की जाए, तो उसका ध्यान विरोधाभास के उद्देश्य से चिह्नित अंश की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए, इसके बाद इसे जांच अधिकारी के बयान में साबित किया जाएगा, जो फिर से पुलिस के बयान का हवाला देकर गवाह के बारे में गवाही देगा कि उसने यह बयान दिया है। इस प्रक्रिया में पुनः पुलिस के बयान का संदर्भ लेना तथा उस हिस्से को हटाना शामिल है, जिसके साथ बयान देने वाले का खंडन किया जाना था। यदि गवाह को बयान के उस हिस्से से सामना नहीं कराया गया था जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुपालन में साबित नहीं किए गए पुलिस को दिए गए बयानों का स्वप्रेरणा से उपयोग नहीं कर सकता है, यानी विरोधाभास के लिए इच्छित हिस्सों की ओर ध्यान आकर्षित करके।” [वी.के. मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य : (2015 9 एससीसी 588 देखें)]

67. इस मामले में, न केवल पक्षद्रोही साक्षियों के मौखिक साक्ष्य में उचित विरोधाभास रिकार्ड पर नहीं लाए गए, बल्कि जो कुछ रिकार्ड पर लाए गए, उन्हें भी जांच अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया। क्या राज्य यह अपेक्षा करता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 प्रत्येक आपराधिक अभियोजन में उसकी सहायता करेगी। कभी-कभी, ऐसी प्रक्रियागत चूक के कारण बहुत गंभीर अपराध के लिए भी सजा नहीं मिल पाती। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया

अपराध सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध है। ऐसी परिस्थितियों में, न तो लोक अभियोजक और न ही विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी किसी भी तरह से लापरवाह या उदासीन बने रहने का जोखिम उठा सकता है। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से बार-बार कहा है कि लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति आदि जैसे मामलों में राजनीतिक विचार का कोई तत्व नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए एकमात्र विचारणीय विषय व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति को न केवल योग्य होना चाहिए, बल्कि उसे निष्कलंक चरित्र और निष्ठावान व्यक्ति भी होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी आरक्षण, आदेश या अन्य बाधाओं के स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। लोक अभियोजन सेवा और न्यायपालिका के बीच संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला हैं। लोक अभियोजक, जो अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, वे विचारण की कार्यवाही में न्यायाधीशों के स्वाभाविक समकक्षों में से एक होते हैं और आपराधिक कानून प्रणाली के प्रबंधन के व्यापक संदर्भ में भी।

68. एक आपराधिक मामला सबूतों की इमारत पर बनाया गया है (चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य सबूत) जो विधि में स्वीकार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण आपराधिक न्यायशास्त्र की बुनियाद है। आम जनता के मन में यह आशंका बनी हुई है कि आपराधिक मुकदमा न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभियोजक इस प्रकार से मुकदमा चला रहे हैं, जिसमें अक्सर अभियोजन पक्ष के गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं।
69. पिछले कुछ समय से आपराधिक अपीलों की सुनवाई करते समय हमने देखा है कि लोक अभियोजक द्वारा किसी पक्षद्रोही गवाह से व्यावहारिक रूप से कोई प्रभावी और सार्थक प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है। लोक अभियोजक को केवल इतना करना होगा कि वह प्रतिकूल गवाह को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके पुलिस बयान से रूबरू कराएगा और उससे उसका खंडन करेगा। लोक अभियोजक को केवल इतना करना होगा कि वह विरोधाभासों को रिकार्ड पर ले आए और उसके बाद जांच अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से ऐसे विरोधाभासों को साबित करे। यह पर्याप्त नहीं है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से दिए गए साक्ष्य की सटीकता, विश्वसनीयता और सामान्य मूल्य पर प्रश्न उठाना है; गवाह द्वारा

पहले से बताए गए तथ्यों की छानबीन करना; विसंगति का पता लगाना और उसे उजागर करना या दबाये गए तथ्यों को उजागर करना जो प्रतिपरीक्षा करने वाले पक्ष के मामले का समर्थन करेंगे। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह एक पक्षद्रोही गवाह से विस्तार से प्रतिपरीक्षा करे और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करे तथा यह भी साबित करे कि गवाह झूठ बोल रहा है और उसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने पुलिस बयान से जानबूझकर पलट गया है। एक अच्छा, अनुभवी और शिष्ट लोक अभियोजक न केवल विरोधाभासों को रिकार्ड पर लाएगा, बल्कि विरोधी गवाह से भी विस्तार से प्रतिपरीक्षा करेगा ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने वास्तव में घटना देखी थी जैसा कि उसके पुलिस बयान में वर्णित है।

70. इस मामले में, हमने देखा है कि शाहीना (अभि.सा.-3) को पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद, लोक अभियोजक ने केवल प्रतिपरीक्षा के लिए उसे कुछ सुझाव दिए। आश्चर्य की बात यह है कि उचित विरोधाभास भी रिकार्ड में नहीं लाया गया। दूसरे शब्दों में, अभि.सा.-3 को उसके पुलिस बयान के बारे में उचित ढंग से नहीं बताया गया। किसी पक्षद्रोही गवाह से प्रतिपरीक्षा करते समय सरकारी अभियोजक के लिए केवल सुझाव देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल सुझावों का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है।
71. वर्तमान मामले में विचारण न्यायाधीश भी सक्रिय भूमिका निभाने में विफल रहे। विचारण न्यायाधीश जज को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए था कि शाहीना (अभि.सा.-3) को एक आवेशपूर्ण माहौल में खुला न्यायालय में गवाही देने के लिए कहा गया था और वह भी अभियुक्त की उपस्थिति में, जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था।
72. एक बच्चे पर न्यायालय में उपस्थिति का प्रभाव और एक बाल गवाह के प्रति न्यायालय के कर्तव्य को दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय द्वारा **लोक अभियोजन निदेशक, ट्रांसवाल बनाम न्याय और संवैधानिक विकास मंत्री** के मामले में बहुत ही संक्षेप में समझाया गया है, जिसकी रिपोर्ट (2009) 4 एसए 222 (सीसी) में दी गई है। हम प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार उद्धृत करते हैं:

“101. न्यायालय ऐसे माहौल में काम करता है जिसका उद्देश्य प्रभावशाली होना है। यह एक ऐसा माहौल है जो बच्चे के लिए अजनबी है। बच्चा अपने माता-पिता जैसे सहयोगी रिश्तेदारों से दूर, साक्षी स्टैंड में अकेला बैठता है। बच्चे को कथित दुर्व्यवहारकर्ता और अन्य अजनबियों की उपस्थिति में गवाही देनी होगी, जिसमें पीठासीन न्यायिक अधिकारी, आरोपी के कानूनी प्रतिनिधि, न्यायालय के अर्दली, अभियोजक और अन्य न्यायालय अधिकारी शामिल हैं। हालांकि बच्चा पहले भी अभियोजक से मिल चुका होगा - कम से कम यह माना जा सकता है कि अभियोजक ने विचारण की तैयारी के लिए बच्चे से साक्षात्कार किया होगा - लेकिन अब बातचीत ऐसे संदर्भ में हो रही है जो बच्चे के लिए संभवतः भ्रमित करने वाली और डरावनी है। जब तक बच्चे के लिए उचित रूप से अनुकूलन न किया जाए, तब तक न्यायालय के माहौल का बच्चे पर प्रभाव यह हो सकता है कि वह भयभीत होकर चुप हो जाए। ऐसे बच्चों के उदाहरण अज्ञात नहीं हैं जो न्यायालय के अजनबी माहौल में प्रवेश पाकर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।”

जहां तक बच्चे की योग्यता मूल्यांकन के संबंध में निर्णय दिया गया, यह निम्नानुसार है:

“102. न्यायिक अधिकारी द्वारा बच्चे से पूछताछ की जाएगी ताकि वह स्वयं संतुष्ट हो सके कि बच्चा यह समझता है कि सच बोलना उसका कर्तव्य है या वह शपथ के महत्व को समझता है। अफसोस की बात है कि यह पूछताछ, हालांकि नेक इरादे से की गई है, अक्सर सैद्धांतिक प्रकृति की होती है और इससे बच्चे में भ्रम और भय की भावना बढ़ सकती है। बच्चे को आश्चर्य हो सकता है कि उससे यह पूछताछ क्यों की जा रही है। इतना ही नहीं।

XXX XXX XXX

104. यदि बच्चा बोलने का निर्णय लेता है, तो अभियोक्ता उसे उसका साक्ष्य दिखाएगा। किसी बच्चे से पूछताछ करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे डे केयर

सेंटर चलाने या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है। न्यायालय में बच्चे से पूछताछ कोई अपवाद नहीं है: इसके लिए एक कौशल की आवश्यकता होती है। अफसोस की बात है कि हमारे सभी अभियोजक इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, हालांकि कुछ ने न्यायालय के माहौल में बच्चों से सवाल पूछने के लिए आवश्यक समझ और कौशल विकसित किया है..."

(जोर दिया गया)

73. यदि सरकारी अभियोजक द्वारा पूछताछ कुशल नहीं है, जैसा कि इस मामले में है, तो परिणाम यह होगा कि अभियोजन एजेंसी के रूप में राज्य बाल गवाह से सच्चाई नहीं उगलवा पाएगा। सत्य तक पहुंचना और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालयों को विचारण में सहभागी भूमिका निभानी होगी और गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकार्ड करने वाले मात्र टेप रिकार्डर के रूप में कार्य नहीं करना होगा। न्याय की सहायता के लिए न्यायाधीश को कार्यवाही की निगरानी करनी होती है। भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह या सुस्त हो, न्यायालय को कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि अंतिम उद्देश्य, अर्थात् सत्य तक पहुंचा जा सके। न्यायालय को अभियोजन एजेंसी की ओर से गंभीर खामियों और कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए। अभियोजन एजेंसी द्वारा उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफलता पर, विचारण न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सके। ([जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य](#), (2004) 4 एससीसी 158 देखें)।

74. न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग लेगा, तथा उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा, जिसे वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है। न्यायाधीश को मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या यहां तक कि इस प्रयोजन के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी साक्षी से प्रश्न पूछने की अबाधित शक्ति होती है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह से कोई गलती हुई है या वह भूल कर बैठा है, तो यह पता लगाना न्यायाधीश

का कर्तव्य है कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि गलती करना मानवीय स्वभाव है और प्रतिपरीक्षा के दौरान घबराहट के कारण गलती करने की संभावना बढ़ जाती है।
(*राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ एवं अन्य*, एआईआर 1997 एससी 1023, (पैरा 12) देखें)

v. क्या अपीलार्थी आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ पाने का हकदार है?

75. अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की वैकल्पिक प्रस्तुति पर विचार करेंगे।
76. उन्होंने प्रस्तुत किया की कि अभियोजन पक्ष का मामला यह भी है कि अपीलार्थी और मृतका सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जी रहे थे और किसी न किसी कारण से एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे, विशेषकर मृतका के बहुत देर रात घर लौटने के कारण। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि घटना के दिन भी कुछ मौखिक विवाद हुआ होगा तथा यह तथ्य शाहीना (अभि.सा.-3) के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है कि उसने रात्रि में अपने माता-पिता की चीखें और चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह घटना बिना किसी पूर्व-योजना के क्षणिक आवेश में घटित हुई थी। दूसरे शब्दों में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह दोनों के बीच आवेश की गर्मी में अचानक झगड़ा होने के कारण हुआ झगड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताते हुए अपनी प्रस्तुति को पुष्ट करने का प्रयास किया कि अपीलार्थी को भी मामूली चोटें आई थीं।
77. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त प्रस्तुति निराधार एवं गुणागुण रहित है। हालाँकि, चूंकि एक विशिष्ट आधार पर आग्रह किया गया है, इसलिए हमें उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए।
78. धारा 300 के अपवाद के लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यह हत्या का मामला है, लेकिन अभियुक्त अपवाद का लाभ उठाकर इसे उस धारा से बाहर लाने और इसे हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का मामला बनाने का दावा करता है। अतः इस दलील में यह माना गया है कि यह हत्या का मामला

है। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, अपवाद की प्रयोज्यता दर्शाना अभियुक्त का कार्य है। अपवाद 4 इस प्रकार है:

“अपवाद 4.- यदि यह बिना किसी पूर्वयोजना के, अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर अचानक हुई लड़ाई में किया गया हो और अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया हो, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है।”

79. प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए:

- (i) यह अचानक हुई लड़ाई थी;
- (ii) कोई पूर्व योजना नहीं था;
- (iii) यह कार्य आवेश में आकर किया गया था; और;
- (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।

80. अपवाद 4 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो, (ख) अचानक लड़ाई में हुई हो, (ग) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई हो; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई हो। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए, उसमें उल्लिखित सभी सामग्री पाई जानी चाहिए।

81. इस न्यायालय ने [विशाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य](#), (2009) आप. एलजे 2243 में आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे और परिधि को स्पष्ट किया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“7. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से संबंधित है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। यह अपवाद भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में ही पूर्वयोजना का अभाव है। किन्तु, जहाँ अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, वहीं अपवाद 4 के मामले में केवल जुनून की वह तीव्रता है जो पुरुषों के गंभीर कारणों को धुंधला कर देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 4 में भी अपवाद 1 की तरह ही उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है, जिनमें भले ही विवाद के मूल में कोई प्रहार किया गया हो, या कोई उकसावा दिया गया हो, या झगड़ा किसी भी तरह से शुरू हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षकारगण का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर दोषी ठहराता है। ‘अचानक लड़ाई’ का तात्पर्य दोनों पक्षकारगण की ओर से आपसी उकसावे और मारपीट से है। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे की वजह से नहीं की जा सकती, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर डाला जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। झगड़े का कोई पूर्व विचार-विमर्श या निश्चय नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षकारगण ही दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन यदि दूसरे ने अपने आचरण से इसे और न बढ़ाया होता तो यह इतना गंभीर रूप नहीं लेता। तब आपसी उत्तेजना और तनाव पैदा होता है, और प्रत्येक लड़ाके को कितना दोष देना है, इसे तय करना कठिन हो जाता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो, (ख) अचानक लड़ाई में हुई हो, (ग) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई हो; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई हो। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए, उसमें उल्लिखित सभी सामग्री पाई जानी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड

संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई दो लोगों द्वारा की जाती है। आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश को शांत होने का समय न मिले और इस मामले में पक्षकारगण ने शुरू में मौखिक विवाद के कारण स्वयं को उग्र बना लिया। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली भिड़न्त है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। अचानक हुआ झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह अनिवार्यतः प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ 'गलत लाभ' है। इन पहलुओं को धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003 (5) उच्चतम 2231; प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2004 (11) एससीसी 381); ब्यावरापु राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2007 (11) एससीसी 218) और हवा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (वि.अनु.या. (आप) संख्या 1515/2008, 15.1.2009 को निपटान) में उजागर किया गया है।"

(जोर दिया गया)

82. यदि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किए गए उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामला हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध नहीं है, बल्कि यह हत्या का मामला है। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अपीलार्थी ने मृतका पर चाकू से बारह बार किए, जो निहत्थी और असहाय थी।
83. जहां अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया हो, वहां उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा

प्रयुक्त हथियार या हमले का तरीका असंगत है, तो यह तय करने के लिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एआईआर 1993 एससी 2426 में रिपोर्ट किए गए [किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य](#) मामले में बताया गया, यह माना गया कि यदि अभियुक्त ने एक निहत्थे व्यक्ति के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और सिर पर वार किया, तो यह माना जाना चाहिए कि यह जानते हुए कि इन वारों से मृत्यु होने की संभावना है, उसने अनुचित लाभ उठाया था। अचानक कोई झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षकारगण दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन यदि दूसरे ने अपने आचरण से इसे और न बढ़ाया होता, तो यह इतना गंभीर रूप नहीं लेता। तब आपसी उत्तेजना और तनाव पैदा होता है और प्रत्येक लड़ाके को कितना दोष देना है, इसका फैसला करना कठिन हो जाता है। लड़ाई के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाए कि यह मृतका ही थी जिसने अपीलार्थी के साथ झगड़ा किया था या अपने आचरण या व्यवहार से अपीलार्थी को उकसाया था, फिर भी यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने अनुचित लाभ उठाया और क्रूर तरीके से काम किया।

84. उपरोक्त सभी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।
85. इस मामले को बंद करने से पहले, हमें मामले के अभिलेख से उभरने वाली कुछ परिस्थितियों पर गौर करने के लिए राजी किया गया है। हम इस तथ्य पर गौर करते हैं कि अपीलार्थी का विवाह मृतका से 1982 में हुआ था। उन दिनों मुसलमानों में तीन तलाक़ का प्रचलन था। वर्ष 1992 में अपीलार्थी ने मृतका को तीन तलाक़ के जरिये तलाक़ दे दिया। हालाँकि, इसके बाद वह उसे एक बार फिर घर वापस ले आया। वर्ष 1995 में, यह घटना हो गई। अपीलार्थी को वर्ष 1998 में विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय में अपील करने पर, वर्ष 1998 में ही, आजीवन कारावास की सजा का मूल आदेश निलंबित कर दिया गया तथा अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय को अपील पर निर्णय लेने में 16 वर्ष लग गए, जिसे अंततः 23.05.2014 को खारिज

कर दिया गया। अपील खारिज होने पर अपीलार्थी को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया और तब से वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हमें बताया गया है कि वह अब तक लगभग 11 साल की सजा काट चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज की तिथि में अपीलार्थी की आयु लगभग 65 वर्ष होगी। उनका अब तक का लगभग आधा जीवन आपराधिक अभियोजन की अग्निपरीक्षा से गुजरते हुए बीता है। जब कोई अपराध किया जाता है, तो अपराधी को अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले कई कारक जिम्मेदार होते हैं। वे कारक सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं, मूल्य क्षरण या माता-पिता की उपेक्षा का परिणाम हो सकते हैं; इसका कारण परिस्थितियों का तनाव हो सकता है, या गरीबी या अन्य अभावों के विपरीत संपन्नता के माहौल में प्रलोभनों का प्रकट होना हो सकता है।

86. इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, विशेष रूप से ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी को राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए सजा में छूट के लिए प्रार्थना करते हुए उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो राज्य सरकार उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी तथा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार उचित निर्णय लेगी तथा अपीलार्थी को लिखित रूप में इसकी सूचना देगी।
87. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और उपरोक्त शर्तों के तहत खारिज की जाती है।
88. लंबित आवेदन यदि कोई हो, तो उसका भी निपटान हो जाएगा।

हेडनोट्स इनके द्वारा तैयार किए गए: दिव्या पांडे

मामले का परिणाम:
अपील खारिज कर दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं

व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*